दो रुपये TWO RUPEES

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल रीवा पीठ रीवा (म0प्र0)

R 5174-II/16

Rs. 30/-

अब्दुल रहीम पिता रमजान वक्श मुसलमान, उम्र लगभग 50 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम बहुती, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म0प्र0)

श्री ... यादव द्वारा आज दिनांक 7-4-16 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

————निगरानीकर्ता

बनाम

शासन म0प्र0

————प्रत्यर्थी

निगरानी विरूद्ध निर्णय व आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क्र0–41/अपील/15–16 में पारित आदेश दिनांक 29/03/16

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता सन् 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्नवत् है :–

क– यह कि निगरानीकर्ता की भूमि नं0–627/3 रकवा 0.35 ए0 स्थित ग्राम बहुती, पटवारी हल्का बहुती, तहसील हनुमना, जिला रीवा म0प्र0 में अवस्थित है जिसे आगे निगरानी में प्रश्नाधीन भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा ।

ख– यह कि प्रश्नाधीन भूमि नं0–627/3 रकवा 0.35 ए0 अवस्थित ग्राम बहुती में पूर्व भूमिस्वामी भगवान भारती तथा कालान्तर में उसकी मृत्यु पश्चात् उसका लड़का अवधेश भारती और उसके भी मृत्यु केप

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0 नि05174–दो / 16 जिला–रीवा

अब्दुल रहीम / शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
17.01.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	